न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (चतुर्थ), जयपुर

पीठासीन अधिकारीः– डॉ. अशोक कुमार, RAS

निगरानी संख्या : 19/2018

पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील चौमू, जिला जयपुर जरिये खण्ड विकास अधिकारी, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

निगरानीकार,

बनाम

1. ग्राम पंचायत जाटावाली, जरिये सरपंच, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
2. महावीर प्रसाद जागिड़ पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद जागिड़, जाति–जागिड़, निवासी–ग्राम पंचायत जाटावाली, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
3. राधामोहन जागिड़ पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद जागिड़, जाति–जागिड़, निवासी–ग्राम पंचायत जाटावाली, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
4. बाबूलाल जागिड़ पुत्र श्री भागीरथ प्रसाद जागिड़, जाति–जागिड़, निवासी– ग्राम पंचायत जाटावाली, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।
5. सीता देवी पत्नी श्री अमरचन्द जागिड़, जाति–जागिड़, निवासी–ग्राम पंचायत जाटावाली, पंचायत समिति गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर।

गैर–निगरानीकर्तागण,

(पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 विरूद्ध धारा 157(1) के तहत अप्रार्थी सं0 2 ता 5 के पक्ष में जारी किया गया है।)

उपस्थितः–

1. श्री मोहन लाल शर्मा, अभिभाषक, निगरानीकर्ता की ओर से।
2. गैर–निगरानीकर्ता सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित अतः एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
3. श्री प्रहलाद कुमार शर्मा, अभिभाषक, गैर–निगरानीकर्ता सं0 2 लगा0 5 की ओर से।

निर्णय **दिनांक : 22.11.2019**

यह निगरानी विकास अधिकारी, पंचायत समिति, गोविन्दगढ, तहसील–चौमू, जिला–जयपुर द्वारा अप्रार्थी सं0 2 लगा0 5 के नाम से नियम 157 (1) में जारी पट्टा सं0 8 बुक सं0 1 दिनांक 23.03.2011 को दस्तावेजों के विपरीत होने के कारण निरस्त करने बाबत् पेश की गई है।

Scanned by CamScanner

उक्त आशय की पंचायत निगरानी पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर कराई जाकर नोटिस गैर–निगरानीकार जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई, जो शामिल मिसल कराई गई।

निगरानी के संक्षेप तथ्य इस प्रकार है कि निगरानीकार को दिनांक 25.01.2012 व 27.01.2012 को उप सरपंच जाटावाली श्री किशोरमल शर्मा, भूपू. सरपंच रामेश्वर दयाल जागिड, वार्ड पंच पप्पू हाटवाल व सुरेन्द्र जाट, इन्द्रा देवी, फूला, बाबूडी व विमला का एक हस्ताक्षरित पत्र प्राप्त हुआ। जिसमें उन्होने दिनांक 01.01.2010 के बाद जारी किये गये पट्टों को निरस्त करने हेतु निवेदन किया। उपसरपंच किशोरमल शर्मा व वार्ड पंच फूला ने निवेदन किया कि अप्रार्थी सं0 1 सरपंच ग्राम पंचायत व सचिव मूलचंद सैनी ने ग्राम जाटावाली मालेरा व डेहरा के पुराने भुखण्डों (मकान) के पट्टे देने के नाम से खाली पट्टों के कागजों पर हस्ताक्षर करवा लिये जिनका उपयोग फर्जी तरीके से किया जा कर पट्टे जारी कर दिये गये। उक्त शिकायती पत्रों के बाद निगरानीकार द्वारा अनियमितता की जांच के लिये दिनांक 25.09.2013 को एक पांच सदस्यीय कमेटी का गठन किया गया। कमेटी द्वारा दिनांक 02.01.2014 को अपना जांच प्रतिवेदन पेश किया और बताया किय ''महावीर प्रसाद, बाबूलाल, राधामोहन पुत्रान् भागीरथ प्रसाद एवं सीता देवी पत्नी अमरचंद निवासी–जाटावाली को नक्शा मुताबिक मौके पर पशुओं के बाडे का 1466.67 वर्गगज भूमि का पट्टा जारी किया गया है सिमें नियमों की स्पष्टता या अवहेलना की गई है। अतः नियमानुसार पट्टा खारिज किया जावें।'' इस प्रकार जांच समिति की रिपोर्ट के आधार पर प्रथम दृष्टया अप्रार्थी सं0 1 सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी सं0 2 मुरली देवी पत्नी कानाराम बुनकर के पक्ष में जारी किया गया पट्टा निरस्त किये जाने योग्य है।

राजस्व ग्राम जाटावाली के ख0नं0 697/1117 रकबा 1.26 है0 किस्म आबादी भूमि में पट्टे दिये गये है। उसका नियम 142 में ग्राम पंचायत जाटावाली ने सक्षम प्राधिकारी से प्लान अनुमोदन नही करवाया और पट्टे जारी कर दिये। ग्राम पंचायत जाटावाली की दिनांक 23.03.2011 को हुई बैठक में दिनांक 08.11.2010 को पंच कमीश्नर की रिपोर्ट दिनांक 23.11.2010 सार्वजनिक आपत्ति नोटिस पर आपत्ति प्राप्त नही होने पर पंचायत मींटिग में निर्णय लेकर अप्रार्थी सं0 2 को पट्टा जारी किया गया है। अप्रार्थी सं0 2 के पक्ष में जारी पट्टे के पीछे साक्ष्यों में फूला, संतोष जांगिड़ व सुरेन्द्र के हस्ताक्षर है तथा इनमें से फूला एवं सुरेन्द्र ने अपने शिकायती पत्र में अप्रार्थी सं0 1 सरपंच व सचिव जाटावाली ने खाली पट्टों पर उनसे हस्ताक्षर करवाकर पट्टे जारी करने का कथन किया है। अतः ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा जारी वादग्रस्त पट्टा निरस्त किया जावें।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (...) सत्यमेव जयते जयपुर जिला–जयपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी।

विद्वान् अभिभाषक निगरानीकार द्वारा दौराने बहस कथन किया कि सरपंच ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा पट्टा सं0 8 बुक सं0 1 दिनांक 23.03.2011 द्वारा जो जारी किया गया है वह निर्णय विधि–विधान, दस्तावेजों के सवर्था विपरीत होने के कारण निरस्त योग्य है। इस संबंध में ग्राम वासियों एवं वार्ड पंच, उप सरपंच द्वारा शिकायती पत्र प्रस्तुत कर निगरानीकार को अप्रार्थी सं0 1 द्वारा सरपंच व सचिव ग्राम पंचायत द्वारा मिलकर खाली पट्टों के कागजों पर हस्ताक्षर करवाकर उनका उपयोग फर्जी तरीके से किया जाकर पट्टे जारी किये जाने की शिकायत की गई है। जिसके संबंध में अनियमितता की जांच के लिए दिनांक 25.09.2013 को एक पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। जांच कमेटी ने दिनांक 02.01.2014 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा जारी किया गया वादग्रस्त पट्टा खारिज करने की सिफारिश की गई है। जांच कमेटी और ग्राम सभा की बैठक में पारित प्रस्ताव की पालना में फर्जी तरीके से जारी किये गये पट्टों को निरस्त किया जावें।

गैर–निगरानीकार सं0 1 बावजूद सूचना अनुपस्थित। अतः इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही की गई।

गैर–निगरानीकार सं0 2 लगा0 5 के विद्वान् अधिवक्ता ने दौराने बहस कथन किया कि अप्रार्थी सं0 1 सरपंच ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा विधि के अनुरूप समस्त कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित की गई है। गैर–निगरानीकार 2 लगा0 5 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के आधार पर पंचगण की रिपोर्ट दिनांक 23.11.2010 को प्राप्त की गई। प्राप्त निरीक्षण रिपोर्ट पंचगण के आधार पर दिनांक 23.03.2011 को कोरम के समक्ष प्रकरण रखा जाकर नियमानुसार आपत्ति प्राप्त नही होने पर पंचायत अधिनियम की धारा 157 (1) के तहत नियमानुसार गैर–निगरानीकार सं0 2 से 5 के पक्ष में पट्टा जारी किया गया है। अतः निगरानीकार की निगरानी विधि विरूद्ध होने के कारण निरस्त की जावें।

हमनें उभयपक्षों की बहस सुनी। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का गहनता के से अवलोकन किया। विकास अधिकारी द्वारा नियुक्त पांच सदस्यीय जांच दल द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में अवगत कराया है कि नक्शा मुताबिक मौके पर पशुओं का बाडे को 1466.67 वर्गगज में नियम 157 (1) में पट्टा जारी कर पट्टा नियमों की स्पष्ट अवहेलना करना तथा राजकोष को हानि पहुचाना अंकित किया है, परन्तु गैर–निगरानीकार सं0 1 की ओर से प्राप्त रिकार्ड में ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है कि ग्राम पंचायत द्वारा समक्ष प्राधिकारी से उक्त भूमि का प्लान अनुमोदन कराया गया

Scanned by CamScanner

हो। ग्राम पंचायत द्वारा गैर–निगरानीकार सं0 2 से 5 को जारी पट्टे के पीछे हस्ताक्षरकर्ता वार्ड पंचों ने प्रार्थी निगरानीकार विकास अधिकारी पंचायत समिति गोविन्दगढ के समक्ष प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर ग्राम जाटावाली, मालेरा व डेहरा के पुराने भूखण्डों के पट्टे देने के नाम से खाली पट्टों के कागजों पर हस्ताक्षर कराकर उनका उपयोग फर्जी तरीके से किया जाकर पट्टे जारी करने का कथन किया है। प्रार्थी/निगरानीकार को प्रकरण की जानकारी ध्यान में लाये जाने पर उनके द्वारा दिनांक 25.05.2013 को एक पांच सदस्यीय जांच कमेटी का गठन किया गया था। जिसमें जांच कमेटी ने दिनांक 02.01.2014 को जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत कर गैर–निगरानीकार सं0 2 से 5 को ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा जारी पट्टा सं 8 दिनांक 23.03.2011 को नियम विरूद्ध जारी किया जाना माना गया है। गैर–निगरानीकार सं0 1 ग्राम पंचायत बावजूद सूचना के अनुपस्थित है। गैर–निगरानीकार सं0 2 लगा0 5 द्वारा बहस में निगरानीकार द्वारा कराई गई जांच कमेटी की रिपोर्ट का खण्डन नहीं किया है। जिससे यह स्वतः ही स्पष्ट है कि गैर–निगरानीकार सं0 1 ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा पशुओं के बाडे के 1466.67 वर्ग गज भूमि का गैर–निगरानीकार सं0 2 लगा0 5 के पक्ष में जारी किया गया पट्टा पट्टा सं0 8 बुक सं0 1 दिनांक 23.03.2011 अवैधानिक तरीके से तैयार पट्टा जारी किया गया है। पट्टे के पृष्ठ भाग पर हस्ताक्षर करने वाले वार्ड पंच गण द्वारा उक्त वादग्रस्त पट्टे पर अन्य मामलों के लिए हस्ताक्षर लेकर उनका उपयोग वादग्रस्त पट्टा जारी करने में किया जाने का कथन किया गया है।

अतः निगरानीकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी स्वीकार की जाती है। ग्राम पंचायत जाटावाली द्वारा गैर–निगरानीकार सं0 2 लगा0 5 के नाम से जारी पट्टा सं0 8 बुक सं0 1 दिनांक 23.03.2011 निरस्त किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 22.11.2019 को सरे इजलास सुनाया गया।

न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ) जयपुर जिला-जयपुर (राज.) सत्यमेव जयते

22-11-19

(डॉ. अशोक कुमार)
अतिरिक्त कलक्टर (चतुर्थ),
जयपुर

Scanned by CamScanner